<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर</u>

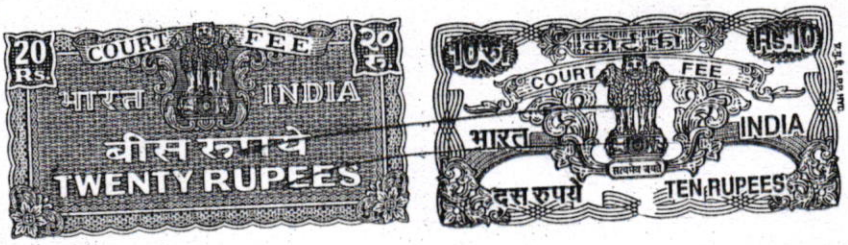

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs.

कोर्ट फ़ी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

निग - 3143-II-16

मौं0 मजीद पिता श्री रसूल वक्स अंसारी उम्र– 56 वर्ष, निवासी ग्राम– कुनझुन, तहसील– बहरी, जिला– सीधी (म.प्र.) —————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. मो0 रहमतुल्ला वक्स पिता श्री रसूल अंसारी उम्र– 38 वर्ष, निवासी ग्राम– कुनझुन, तहसील– बहरी, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... मिश्रा, अभि0 द्वारा आज दि. 16-9-16 को प्रस्तुत
Fee 16-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 07 / निगरानी / 2015–16 आदेश दिनांक– 31.08.16 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी महोदय दल क्रमांक– 1 सीधी के पंजी क्रमांक– 1 आदेश दिनांक– 19.03.1999 के आदेश को निरस्त किया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

चन्द्रकान्त मिश्रा (अभि0) 16/9/16

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है:–

<u>निगरानी के सूक्ष्म तथ्य</u>

... तहसील– सिहावल वर्तमान

XXXIX(a)BR(H)-11
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला सीधी

प्रकरण कमांक – निगरानी 3143–दो/2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१ –9–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रकरण कमांक 3143–दो/16 में में पारित आदेश दिनांक 31–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि नामांतरण पंजी की मांग किये जाने पर प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार सीधी द्वारा दिनांक 20–11–1988 को अवगत कराया गया है कि नामांतरा पंजी अप्राप्त है। नामांतरण पंजी की नकल जो प्रस्तुत की गयी है वह भी सत्यापित नहीं है, मात्र पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस तरह खसरे में जिस नामांतरण पंजी के आधार पर गैर निगरानीकर्ता (आवेदक) का नाम दर्ज किया गया है, वह नामांतरण पंजी उपलब्ध नहीं है। सहायक बन्दोबस्त ने अपने आदेश में वादग्रस्त भूमि को गैर हकदार के बजाय बैकर निगरानीकर्ता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व प्रादान किया है जबकि प्रकरण में संलग्न खसरा नकल वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक वादग्रस्त भूमियां म0प्र0 शासन के स्वत्व में अंकित है। इस आधार पर अपर कलेक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुये भूमियों को म0प्र0 शासन के नाम अंकित करने का आदेश दिया है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की	

अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक यदि तीन माह की अवधि के दरमियान अपर कलेक्टर के समक्ष मूल आदेश की सत्यापित प्रस्तुत कर देता है तो अपर कलेक्टर उक्त आदेश की प्रति को विचार क्षेत्र में लेकर प्रकरण के गुण–दोष पर आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। अतः तीन माह तक अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–8–16 का कियान्वयन स्थगित रखा जाता है। इस आदेश के कम में अपर कलेक्टर पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होने संबंधित निर्देश दिये जाते हैं। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य